

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अराई

मुकाम अराई (अजमेर)

• धर्मीचन्द पुत्र श्री माणक चन्द जाति महाजन उम्र बालिग निवासी ग्राम गोठियाना तहसील अराई जिला अजमेर

-वादी

बनाम

• कैलाशचन्द पुत्र श्री लाल चन्द जाति महाजन उम्र बालिग निवासी ग्राम गोठियाना तहसील अराई व अन्य

-प्रतिवादीगण।

किस्म मुकदमा- धारा 88,209,136 राज0 का0 अधि0 1955

नंबर 40/2025

ऑनलाइन नंबर 2025/.....

वकील वादी:- अभिषेकसिंह राजपुरोहित

वकील प्रतिवादीगण.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
18/7/25	यह वाद पत्र वादी की ओर से वकील वादी अभिषेकसिंह राजपुरोहित ने अन्तर्गत धारा 88,209 व 136 राज.का. अधि. 1955 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश, दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादीगणों की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 01.08.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अराई	
01/8/25	पत्रावली पेश हुई। कारील पक्षाकारण उप. जारी। तारीखी खोर्द पत्र की। पत्रावली दिनांक 01/8/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अराई	
22/8/25	पत्रावली पत्रावली की तलबी के बाद प्रतिवादी गणों को सम्मन जारी किया गया जो प्राप्त हुआ है। प्रतिवादी गणों को सम्मन प्राप्त हुआ है। अतः इनके विरुद्ध एम्प्लीस अर्किवादी की पत्रावली प्राप्त हुई। अतः सम्मन दिनांक 01/08/25 को पेश हो।	

